

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-3/नि0स0-66/2024-

/स्वा0, पटना, दिनांक

डा0 अनिल कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी-सह-अपर निदेशक (कार्यकारी प्रभार), प्रा0स्वा0केन्द्र, नूरसराय, नालंदा द्वारा अपने कैसर के ईलाज के निमित्त दिनांक 21.09.2024 से 05.10.2024 तक उपभोगित अवकाश को बिहार सेवा संहिता के नियम-234 में वर्णित प्रावधान एवं वित्त(वै0दा0नि0को0), विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2161(25) दिनांक 09.10.2025 के आलोक में कुल-30 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले 15 दिनों का रूपान्तरित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

02. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापक :

526(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक

12/6/26

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालंदा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नूरसराय, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: डा0 अनिल कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी-सह-अपर निदेशक (कार्यकारी प्रभार), प्रा0स्वा0केन्द्र, नूरसराय, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: विभागीय प्रशाखा-2, 9, 17 एवं 18ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Wfmmn 11/6/26
सरकार के उप सचिव